28.2.26

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A को सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज०

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 4: /2025

सोहनी बाई पिता छीतर हा.मु. पति जितेन्द्र वनाम छीतर पिता माधु गुर्जर धाकड वगै.
निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ काटून्दा तह0 बेगूँ

उपस्थित ::– विजय भारद्वाज
अधिवक्ता प्रार्थी
अनुपस्थित विपक्षीगण

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 212 आर टी. एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2026	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अ.धा.212 आर.टी.एक्ट. पर वकील प्रार्थी कि एक तरफा बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा काटूंदा प.ह. काटूंदा के खाता संख्या 573 आराजी संख्या 175, 176, 177 खाता संख्या 572 आराजी संख्या 178 कुल किता –04 कुल रकबा 0.4.0100 है0 भूमि मुझ प्रार्थीया के पिता विपक्षी संख्या 1 छीतर की एवं अन्य प्रतिवादीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व अधिपत्य की है। खाता संख्या 573 में प्रार्थीया के पिता विपक्षी संख्या 1 छीतर का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 572 में 1/3 हक हिस्सा निहित है। जो प्रार्थीया के पिता को पैतृिक रूप से प्राप्त हुई है। उक्त कृषि आराजीयात आजीविका का मुख्या साधन होकर प्रार्थीया के परिवार का भरण पोषण इसी पैतृिक कृषि भूमि से होता है। विपक्षी संख्या 1 छितर पिता माधु के कोई जाइन्दा पुत्र संतान नही है तथा प्रार्थीया व दो सगी बहने होकर विपक्षी संख्या 1 की जाइन्दा पुत्रीयां है विपक्षी संख्या 1 की पैतृिक संपति में नौशनल शेयर के अनुसार प्रार्थीया का 1/16 हक हिस्सा बनता है। प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 20/12/2024 को धमकी दी कि उक्त वाद वर्णित पुश्तैनि कृषि आराजीयात को बेचान करके रहूँगा मुझे कोई नही रोक सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 मौजा काटूंदा प.ह. काटूंदा के खाता संख्या 573 में प्रार्थीया के पिता विपक्षी संख्या 1 छीतर का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 572 में 1/3 हक हिस्सा भूमि में प्रर्थीया का नौशनल शेयर के अनुसार प्रार्थीया का 1/16 व 1/12 हक हिस्से की पैतृिक भूमि को किसी प्रकार से रहन बेचान आदि नही करें करावें । प्रकरण मे वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमांबदी सम्वत 2078–20278 मौजा काटूंदा प.ह. काटूंदा के खाता संख्या 573 आराजी संख्या 175, 176, 177 खाता संख्या 572 आराजी संख्या 178 कुल किता –04 कुल रकबा 0.4.0100 है0 भूमि का अवलोकन करने पर उक्त आराजीयात में जमांबन्दी अनुसार चांदीबाई, छीतर, टोडू, दल्लू, देवीलाल, भैरू, भोजा, खातेदार है। प्रार्थीया का नाम दर्ज अंकित नही है। जब प्रार्थीया उक्त आराजीयात में खातेदार ही नही है तो किसी भी खातेदार को पाबंद करना हम न्याय संगत नही समझते है। अतः प्रार्थनापत्र अ.धा. 212 राज.का.अधि. का सिद्ध नही होने से एतद द्वारा खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (अंकित सामरिया) उपखण्डअधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़	